

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना" के अन्तर्गत प्रदेश में स्वीकृत शेल्टर्स के निर्माण कार्य की प्रगति समीक्षा हेतु मिशन निदेशक राज्य शहरी आजीविका मिशन एवं सूडा, उ०प्र० की अध्यक्षता में कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 30.04.2015 को अपराह्न 4:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत प्रदेश हेतु स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा हेतु कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ राज्य शहरी आजीविका मिशन के पत्र संख्या 257/241/NULM/तीन/2001(SUH) VOL-II दिनांक 28.04.2015 के क्रम में बैठक मिशन निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. जे०पी०सिंह – संयुक्त निदेशक, सूडा।
2. लाल प्रताप सिंह – वित्त नियंत्रक, सूडा।
3. आई०पी०कनौजिया – परियोजना निदेशक, सूडा।
4. मु० तैयब – परामर्शी सूडा।
5. वी०एन०त्रिपाठी – स०परि०अ०, सूडा।
6. ए०के० पुरवार – महाप्रबन्धक सी०एण्ड०डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
7. पद्माकर ओझा – परियोजना प्रबन्धक सी०एण्ड०डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।

II- स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में महाप्रबन्धक सी०एण्ड०डी०एस० श्री ए०के०पुरवार द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत 46 शहरों हेतु 60 परियोजनाओं के सापेक्ष प्रगति निम्नवत् है:

- 7 परियोजनाओं यथा कानपुर नगर की 50-50 शहरी बेघरों हेतु अपग्रेडेशन की परियोजना-
  - i) चुन्नीगंज
  - ii) मैरवघाट
  - iii) मैनपुरी (100 शहरी बेघरों हेतु)
  - iv) फिरोजाबाद (100 शहरी बेघरों हेतु)
  - v) शिकोहाबाद (100 शहरी बेघरों हेतु)
  - vi) गोण्डा(60 शहरी बेघरों हेतु)
  - vii) महाराजगंज (50 शहरी बेघरों हेतु) पर ही निर्माण कार्यप्रारम्भ हो पाया है।
- लखनऊ पल्टन छावनी (50 शहरी बेघरों हेतु) स्वीकृत परियोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया परन्तु पुरातत्व विभाग द्वारा रोक लगा दिये जाने के कारण निर्माण कार्य बाधित है। इस संबंध में सूडा प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु मण्डलायुक्त की तरफ से पत्र प्रेषित किया गया है तथा परियोजना अधिकारी, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि 06.05.2015 को प्रकरण निस्तारण हेतु तिथि निर्धारित की गई है।
- स्वीकृत 04 परियोजनाओं वाराणसी जोलहा टोला, एवं मौजा वाराणसी विश्वविद्यालय हेतु 50-50 शहरी बेघरों हेतु आश्रय, सिद्धार्थनगर (50 शहरी

बेघरों हेतु) फतेहपुर(50 शहरी बेघरों हेतु) में स्थल विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। इस संबंध में सूडा प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना अधिकारी फतेहपुर द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल विवाद के फलस्वरूप परियोजना हेतु प्रस्तावित स्थल के समीप ही अन्य स्थल चयनित कर लिया गया है। एम0ओ0यू0 भी सी0एण्ड0डी0एस0 के साथ कर दिया गया है। सिद्धार्थ नगर के संबंध में अवगत कराया गया कि सहा0 परियोजना अधिकारी द्वारा बताया गया है कि एम0ओ0यू0 हो गया है स्थल विवाद नहीं है। स्थल पैमाइश चेयरमैन, नगर पालिका परिषद द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कराने को कहा गया है जिसके संबंध में पी0एम0 सी0 एण्ड0 डी0एस0 को अवगत करा दिया गया है।

- शामली में उच्चकृत हेतु स्वीकृत परियोजना हेतु आवंटित भवन को जिला न्यायालय हेतु दोबारा आवंटित हो जाने के दृष्टिगत अन्य उपयुक्त स्थल की तलाश की जा रही है।
- सहारनपुर दुधली रोड हेतु स्वीकृत परियोजना के संबंध में अवगत कराया गया कि परियोजना स्वीकृत के उपरान्त उक्त स्थल के उपयुक्त न होने की हडको टिप्पणी के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा अनुपालन किये जाने के निर्देश के दृष्टिगत अन्य उपयुक्त स्थल टैक्सी स्टैण्ड के समीप चयनित किये जाने की सूचना परियोजना अधिकारी द्वारा दी गयी है।
- स्वीकृत 60 परियोजनाओं के सापेक्ष केवल 10 परियोजनाओं यथा लखनऊ पल्टन छावनी, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, रायबरेली, उन्नाव, मैनपुरी, गोण्डा, महोबा एवं कानपुर नगर की दो परियोजनाओं पर धनराशि सी0 एण्ड0डी0एस0 को प्राप्त हुई है इस संबंध में सूडा प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि बुलन्दशहर, खुर्जा, बरेली द्वारा भी अवगत कराया गया है कि धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।
- अवगत कराया गया कि दिनांक 12.03.2015 को आयोजित परियोजना स्वीकृत समिति की बैठक के कार्यवृत्त संख्या-5609/241/NULM/तीन /2014-15(SUH) दिनांक-31.03.2015 के क्रम में 20 परियोजनाओं की धनराशि सूडा द्वारा अवमुक्त की प्रक्रिया में है जो आज ही निर्गत कर दी जायेगी।

III- स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में परियोजनावार प्रगति समीक्षा में उल्लिखित प्रगति पर निदेशक महोदय द्वारा प्रकरण के मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने एवं मा0 न्यायालय द्वारा निरन्तर सघन समीक्षा किये जाने के दृष्टिगत गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए कड़े निर्देश दिये गये कि निम्नांकित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

1. बैठक में निदेशक सी0एण्ड0 डी0एस0 की अनुपस्थित व इस हेतु कोई अनुमति प्राप्त न किये जाने पर असन्तोष व्यक्त किया गया।
2. सी0 एण्ड0डी0एस0 द्वारा निर्माण कार्य तेजी से प्रारम्भ कर निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण कर शेल्टर हस्तगत किया जाय।

3. अधिकांश परियोजनाओं पर निर्माण कार्य नवम्बर 2015 व टाइमलाइन के अनुसार पूर्ण किया जाय।
4. निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा प्रत्येक शुक्रवार को सायं 4:30 बजे सी0एण्ड0डी0एस0 निदेशक के साथ किया जाना।
5. सूडा द्वारा 12.03.2015 को स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि तत्काल निर्गत किया जाना।
6. सी0एण्ड0डी0एस0 द्वारा एम0ओ0यू0 की कार्यवाही पूर्णकर प्रतिलिपि उपलब्ध कराना।
7. जिन शहरों में स्वीकृत परियोजनाओं पर कोई विवाद नहीं है तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है उनके द्वारा प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में धनराशि अवमुक्त किया जाय।
8. परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा लगाई गई शर्तों की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में 15.05.2015 तक कार्यदायी संस्था एवं सी0एम0एम0यू0 द्वारा उपलब्ध कराना।
9. विवादित परियोजनाओं के संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव सी0एण्ड0डी0एस0 एवं सी0एम0एम0यू0 द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराना।
10. विवादित परियोजनाओं के निस्तारण हेतु राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा कार्यवाही पूर्ण करवाना।
11. जिन परियोजनाओं में Soil Testing के उपरान्त किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। उसके संबंध में सक्षम अधिकारी/पी0डब्लू0डी0 से परीक्षणोपरान्त स्पष्ट प्रस्ताव सी0एण्ड0डी0एस0 द्वारा सी0एम0एम0यू0 के माध्यम से SMMU को उपलब्ध कराना।
12. स्वीकृति परियोजना में किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि का प्रावधान न होने के दृष्टिगत त्वरित गति से निर्माण कार्यपूर्ण किया जाय।
13. निर्धारित समय सीमा निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर कार्यदायी संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही किया जाना।
14. एम0एम0एम0यू0 सूडा उत्तर प्रदेश द्वारा सी0एम0एम0यू0 को निर्गत धनराशि की प्रति सी0एण्ड0डी0एस0 उ0प्र0 को उपलब्ध कराना।
15. कार्यदायी संस्था द्वारा सी0एम0एम0यू0 के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर निर्माण कार्य की विस्तृत प्रति आख्या प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराना।

प्रकरण के विचाराधीन रिट याचिका संख्या-55/2003 के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 24.07.2015 को अगली सुनवाई के दौरान शेट्टर्स की प्रगति समीक्षा के दृष्टिगत उल्लिखित निर्देशों के साथ कार्यदायी संस्था के निदेशक, सी0एण्ड0डी0एस0 के साथ साप्ताहिक समीक्षा प्रत्येक शुक्रवार को सायं 04:30 बजे कर निर्माण कार्य तेजी से कराने के निर्णय के साथ समाप्त की गई।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक

o/k

कार्यालय- राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० लखनऊ

पत्रांक- 343/241/NULM/तीन/2001(SUH) VOL-II

दिनांक- 01-05-2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, नगर विकास, उ०प्र० शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
4. वित्त नियंत्रक, सूड० उ०प्र०।
5. निदेशक सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष- आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, आजमगढ़, बदायूँ, बलिया, बांदा, बुलन्दशहर, सम्भल, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, रायबरेली, शामली, उन्नाव, बाराबंकी, गौतमबुद्धनगर, बिजनौर, कुशीनगर, महोबा, मऊ, प्रतापगढ़, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, भदोही, चन्दौली, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी।
7. नगर आयुक्त/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर- आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ तथा गाजियाबाद।
8. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी-न०पा०प०, न०प०/ सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, सी०एम०एम०यू०- आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, आजमगढ़, बदायूँ, बलिया, बांदा, बुलन्दशहर, सम्भल, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, रायबरेली, शामली, उन्नाव, बाराबंकी, गौतमबुद्धनगर, बिजनौर, महोबा, मऊ, प्रतापगढ़, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, तथा कौशाम्बी खुर्जा-बुलन्दशहर, चन्दौसी-सम्भल, शिकोहाबाद-फिरोजाबाद, ज्ञानपुर-भदोही, मुगलसराय-चन्दौली, लोनी-गाजियाबाद, मंझनपुर-कौशाम्बी, दादरी-गौतमबुद्धनगर, खलीलाबाद-सन्त कबीर नगर, अकबरपुर-कानपुर देहात, रॉबर्ट्सगंज-सोनभद्र, पडरौना-कुशीनगर।
9. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी।
10. सहायक वेब मास्टर सूडा को अपलोड एवं ईमेल से प्रेषण हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक

9/e